



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092022-238893  
CG-DL-E-16092022-238893

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 450]  
No. 450]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 14, 2022/भाद्र 23, 1944  
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 14, 2022/BHADRA 23, 1944

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2022

फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एसपी-08/टी(एफओपीएनएल-एन-01).—खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 में और आगे संशोधन, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 16 की उप-धारा (2) के खंड (ज) और धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करना चाहती है, करने के लिए इनके विनियमों का प्रारूप इनसे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्वारा प्रकाशित करती है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो, उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा [regulation@fssai.gov.in](mailto:regulation@fssai.gov.in) पर ई-मेल से भेजा जा सकता है।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

- (1) इन विनियमों को 'खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) संशोधन विनियम, 2022' कहा जा सकता है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 48 महीनों तक इनका अनुपालन स्वैच्छिक होगा और उसके बाद अनिवार्य होगा।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 ((जिन्हें एतदपश्चात् 'उक्त विनियम' कहा जाएगा), में,-

(1) अध्याय-1 के "परिभाषाएँ" से संबंधित विनियम 2 के खंड (झ) के बाद निम्नलिखित को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(झ क) पैक के अग्र भाग पर पोषण लेबलिंग (एफओपीएनएल) पोषण संबंधी वह पूरक सूचना है, जिसमें पूर्व पैकेजबंद खाद्य पदार्थों के पैकों के सम्मुख भाग पर पोषण के संबंध में सरल सूचना होती है। इसमें ऐसे प्रतीक/ ग्राफ, पाठ्य सामग्री अथवा उनका मिला-जुला रूप हो सकता है, जिससे खाद्य के समग्र पोषण मान और/अथवा एफओपीएनएल में शामिल पोषक तत्वों के बारे में सूचना मिले।"

"(झ ख) उच्च वसा, शर्करा, नमक (एचएफएसएस) खाद्य से वह प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद अभिप्रेत है, जिसमें सैच्युरेटिड वसा अथवा कुल शर्करा अथवा सोडियम अधिक मात्रा में हो। इन संघटकों का घोषित मान ऐसा होता है कि उत्पाद कुल शर्करा के कुल ऊर्जा के 10 प्रति शत से कम ऊर्जा मान (किकै) पर, अथवा कुल ऊर्जा के 10 प्रति शत सैच्युरेटिड वसा, और 1 मिग्रा/1 किकै से कम सोडियम पर खरा न उतरे।"

(2) "लेबलिंग अपेक्षाएँ" से संबंधित विनियम 5 के,-

(क) उप-विनियम (2) के खंड (ख) के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि यदि खाद्य उत्पाद में फल, सब्जी, गिरियाँ, फलियाँ और मिल्लेट हों तो उन्हें प्रतिशत में घोषित किया जाए।"

(ख) उप-विनियम (3) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के "सोडियम(मिग्रा)" से संबंधित मद (घ) के बाद निम्नलिखित को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(ङ) आहारिक रेशा (ग्रा),"

(3) "खाद्य सहयोज्य पदार्थों के उसी रूप में बेचे जाने पर उनकी लेबलिंग" से संबंधित अध्याय-5 के बाद निम्नलिखित को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

#### "अध्याय 6

14. भारतीय पोषण रेटिंग (आईएनआर)

(1) आधारभूत संदर्भ मान और श्रेणियाँ

किसी ठोस खाद्य पदार्थ अथवा द्रव खाद्य की रेटिंग के आकलन में विचारार्थ पैक के अग्र भाग पर पोषण लेबलिंग (एफओपीएनएल) के प्रयोजन के लिए स्वास्थ्य का जोखिम बढ़ाने वाले चार घटकों अर्थात् उत्पाद के प्रति 100 ग्रा अथवा 100 मि.ली में ऊर्जा, कुल शर्करा, सैच्युरेटिड फैट और सोडियम का आधारभूत संदर्भ मान; तथा सकारात्मक पोषक तत्वों, उदाहरणार्थ फल और सब्जी (एफवी); गिरियाँ, फलियाँ और मिल्लेट (एनएलम); रेशा और प्रोटीन का न्यूनतम प्रतिशत अनुसूची-3 की सारणी-1 में दिया गया है।

आगे, मौजूदा खाद्य सुरक्षा और मानक में शामिल सभी प्रसंस्कृत और पैकेजबंद खाद्य उत्पादों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है, उदाहरणार्थ श्रेणी-1 (ठोस खाद्य पदार्थ), श्रेणी-2 (द्रव खाद्य पदार्थ) और श्रेणी-3 (एफओपीएनएल से छूट-प्रदत्त)। चित्रात्मक डिस्प्ले की पद्धति के फोरमैट को भारतीय पोषण रेटिंग (आईएनआर) कहा जाएगा। खाद्य जोखिम घटकों की आधारभूत संदर्भ मान और सकारात्मक घटकों की न्यूनतम प्रतिशतता, श्रेणी-1 के लिए आईएनआर बेसलाइन प्वाइंट, श्रेणी-2 के लिए आईएनआर बेसलाइन प्वाइंट, सकारात्मक घटकों के प्वाइंटों की कैपिंग, स्टार रेटिंग आकलन का फॉर्मूला और सम्बद्ध व्याख्या अनुसूची-3 की क्रमशः सारणी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में दी गई है। श्रेणी-3 के तहत ठोस पदार्थों/द्रव पदार्थों की सूची (एफओपीएनएल से छूट-प्रदत्त) अनुसूची-4 में दी गई है।

परंतु यह कि ऊर्जा और/अथवा शर्करारहित कोई पेय /कार्बोनेटिड पेय स्टार रेटिंग (आईएनआर) की घोषणा के पात्र नहीं हैं।


## (2) चित्रात्मक डिस्प्ले फोरमैट

- (क) इन विनियमों के अंतर्गत पोषण सूचना देने से छूट-प्रदत्त पैकेजबंद खाद्य को छोड़कर पैकेजबंद खाद्य के प्रत्येक पैकेज पर अनुसूची-3 की सारणी-5 में दिए गए फॉर्मूले का प्रयोग करके 'बिक्री के समय' प्रति 100 ग्रा ठोस खाद्य पदार्थ अथवा 100 मि.ली द्रव खाद्य पदार्थ के आधार पर परिकलित ऊर्जा (किकै), सैच्युरेटिड फैट (ग्रा), कुल शर्करा (ग्रा) और सोडियम (मिग्रा) का योगदान (किलो कैलोरी में) सकारात्मक पोषक तत्व के रूप में पैक के अग्र भाग पर निर्धारित फोरमैट (आईएनआर) में डिस्प्ले किया जाएगा।
- (ख) आईएनआर पद्धति पैकेजबंद खाद्य को ½ स्टार (न्यूनतम स्वास्थ्यकर) से 5 स्टार (सर्वाधिक स्वास्थ्यकर) तक की रेटिंग देकर उसके समग्र पोषण प्रोफाइल की रेटिंग करती है। अधिक स्टार होने से तात्पर्य है खाद्य पदार्थ मानव के लिए पोषक तत्वों की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति अधिक मात्रामें करता है। आईएनआर के लोगो का फोरमैट निम्नानुसार होगा:



लोगो पैक के अग्र भाग पर उत्पाद के नाम अथवा ब्रांड नाम के बिल्कुल निकट डिस्प्ले किया जाए।

परंतु यह कि खाद्य कारोबारी आईएनआर लोगो के साथ आरडीए ऊर्जा, कुल शर्करा, सैच्युरेटिड फैट और नमक समतुल्य सोडियम को प्रति परोसा योगदान के प्रतिशत के रूप में अतिरिक्त व्याख्यात्मक सूचना निम्नानुसार ऐच्छिक रूप से दे सकता है:




\*अतिरिक्त व्याख्यात्मक सूचना का डिस्प्ले साइज मुख्य लोगो के 25% के रूप में निर्धारित किया जा सकता है।

A – मुख्य आईएनआर लोगो की ऊँचाई के बराबर। B-मुख्य आईएनआर लोगो की ऊँचाई का ¼


## (ग) आईएनआर लोगो का साइज

क्रम सं.	प्रमुख डिस्प्ले पैनल का क्षेत्र, वर्ग सें.मी. में	न्यूनतम ऊँचाई (मिमी)	न्यूनतम चौड़ाई (मिमी)
1.	100 से अधिक और 500 तक	15	15
2.	500 से अधिक और 2500 तक	20	20
3.	2500 से अधिक	25	25


(घ) रंग कोड :



Position	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Inch W	1.783 "	1.68 "	1.783 "	0.331 "	0.513 "	1.347 "	1.106 "	0.825 "	0.318 "	0.532 "	0.043 "	0.04 "
Inch H	1.811 "	0.64 "	0.633 "	0.183 "	1.146 "	0.093 "	0.093 "	0.667 "	0.323 "	0.896 "	1.358 "	1.074 "



Position	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Inch W	3.696 "	0.336 "	0.447 "	0.751 "	0.603 "	0.239 "	2.02 "	0.88 "	0.88 "
Inch H	1.011 "	0.126 "	0.135 "	0.156 "	0.077 "	0.115 "	0.156 "	0.411 "	0.598 "



## (3) आईएनआर लोगो जनरेशन

खाद्य कारोबारी, आईएनआर स्कोर तथा लोगो को जनरेट करने के लिए अपने उत्पाद संबंधित पोषण प्रोफाइल को, ऐच्छिक व्याख्यात्मक सूचना के साथ अथवा उसके बिना, फॉस्कोस प्रणाली में प्रस्तुत करेगा।”

15. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के अंतर्गत यथाविहित दुग्ध लोगो वाले खाद्य उत्पादों को एच.एफ.एस.एस की परिभाषा के क्षेत्र से छूट होगी।

## (4) अनुसूची-2 के बाद निम्नलिखित अनुसूची को अंतः स्थापित किया जाएगा , अर्थात्,-

**"अनुसूची-3**

सारणी 1. 'बिक्री के समय' के आधार पर प्रति 100 ग्रा अथवा 100 मि.ली खाद्य जोखिम घटकों और सकारात्मक घटक की न्यूनतम प्रतिशतता के लिए बेसलाइन संदर्भ मान

खाद्य जोखिम घटक	ठोस खाद्य पदार्थ	द्रव खाद्य पदार्थ (गैर-डेयरी)	सकारात्मक घटक	न्यूनतम, %
ऊर्जा, किकै	400	30	फल और सब्जियाँ	10 (ठोस खाद्य पदार्थ) और 5 (द्रव खाद्य पदार्थ)
कुल शर्करा, ग्रा	21	6	गिरियाँ, फलियाँ, और मिल्लेट	10
सैच्युरेटिड फैट, ग्रा	5	3	आहारिक रेशा	3
सोडियम, मिग्रा	450	100	प्रोटीन	1.5

सारणी 2. श्रेणी-1 के लिए आईएनआर बेसलाइन प्वाइंट : ठोस खाद्य पदार्थ (डेयरी उत्पादों और बीवरेज सहित) प्रति 100 ग्रा.

श्रेणी-1 में खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के तहत उल्लिखित श्रेणी सं. 6.8.1 और 14.0 को छोड़कर सभी खाद्य श्रेणियाँ शामिल हैं

बेसलाइन प्वाइंट	ऊर्जा, किकै	सैच्युरेटिड फैट (गा)	कुल शर्करा (गा)	सोडियम (मिग्रा)	सकारात्मक प्वाइंट			
					एफवी	एनएलएम	आहारिक रेशा	प्रोटीन
0	≤80	≤1.0	≤4.2	≤90	≤10	≤10	≤3	≤1.5
1	>80	>1.0	>4.2	>90	>10	>10	>3	>1.5
2	>160	>2.0	>8.4	>180	>15	>15	>6	>2.0
3	>240	>3.0	>12.6	>270	>20	>20	>9	>2.5
4	>320	>4.0	>16.8	>360	>25	>25	>12	>3.0
5	>400	>5.0	>21	>450	>30	>30	>15	>5
6	>480	>6.0	>25.2	>540	>35	>35	>18	>7
7	>560	>7	>29.4	>630	>40	>40	>21	>10
8	>640	>8	>33.6	>720	>45	>45	>24	>15
9	>720	>9	>37.8	>810	>50	>50	>27	>20

10	>800	>10	>42	>900	>55	>55	>30	>25
11		>12	>46.2	>990				>30
12		>14	>50.4	>1080				>35
13		>16	>54.6	>1170				>40
14		>18	>58.8	>1260				>45
15		>20	>63	>1350				>50
16		>22	>67.2	>1440				
17		>24	>71.4	>1530				
18		>26	>75.6	>1620				
19		>28	>79.8	>1710				
20		>30	>84	>1800				
21		>32		>1890				
22		>34		>1980				
23		>36		>2070				
24		>38		>2160				
25		>40		>2250				

सारणी 3. श्रेणी-2 : द्रव खाद्य पदार्थ (डेयरी उत्पादों को छोड़कर) के लिए आईएनआर बेसलाइन प्वाइंट, प्रति 100 मि.ली श्रेणी-2 में खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित खाद्य श्रेणी सं. 6.8.1 और 14.0 शामिल हैं।

बेसलाइन प्वाइंट	ऊर्जा (किकै)	कुल शर्करा (ग्रा)	सकारात्मक प्वाइंट	
			एफवी	प्रोटीन
0	≤6	≤0.1	≤5	≤1.5
1	>6	>0.1	>5	>1.5
2	>12	>1.6	>10	>2.0
3	>18	>3.1	>15	>2.5
4	>24	>4.6	>20	>3.0
5	>30	>6.1	>25	>5
6	>36	>7.6	>30	>7
7	>42	>9.1	>35	>10
8	>48	>10.6	>40	>15
9	>54	>12.1	>45	>20
10	>60	>13.6	>55	>25
11				>30
12				>35
13				>40
14				>45
15				>50

## सारणी 4. सकारात्मक प्वाइंटों की कैपिंग

श्रेणी	कैपिंग मानदंड
ठोस खाद्य पदार्थ	आईएनआर बेसलाइन प्वाइंट $\leq 20$ होने पर प्रोटीन के लिए 15 प्वाइंट तथा एफवी, एनएलएम और आहारिक रेशा के लिए 10-10 प्वाइंट स्कोर किए जा सकते हैं।
	आईएनआर बेसलाइन प्वाइंट $> 20$ होने पर प्रोटीन के लिए 7 प्वाइंट और एफवी, एनएलएम तथा आहारिक रेशा के लिए 5-5 प्वाइंट स्कोर किए जा सकते हैं।
द्रव खाद्य पदार्थ	आईएनआर बेसलाइन प्वाइंट $\leq 10$ होने पर 10 प्वाइंट एफवी के लिए और प्रोटीन के लिए 15 तक प्वाइंट स्कोर किए जा सकते हैं। आईएनआर बेसलाइन प्वाइंट $> 10$ होने पर एफवी के लिए 5 प्वाइंट और प्रोटीन के लिए 7 प्वाइंट तक स्कोर किए जा सकते हैं।

## सारणी 5 : स्टार रेटिंग परिकलन का फॉर्मूला

<u>अंतिम आईएनआर स्कोर</u>	
= (आईएनआर बेसलाइन प्वाइंट) - [(आईएनआर एफवी* प्वाइंट) + (आईएनआर एनएलएम* प्वाइंट) + (आईएनआर पी* प्वाइंट) + (आईएनआर एफ* प्वाइंट)]	

## सारणी 6 : भारतीय पोषण रेटिंग

भारतीय पोषण रेटिंग		
अंतिम भारतीय पोषण रेटिंग के साथ ठोस खाद्य पदार्थ श्रेणी के लिए आईएनआर स्कोर		अंतिम भारतीय पोषण रेटिंग के साथ द्रव खाद्य पदार्थ श्रेणी के लिए आईएनआर स्कोर
स्टार	प्वाइंट	प्वाइंट
5	$\leq -11$	$\leq 0$
4.5	-10 – -7	1 – 2
4	-6 – -2	3 – 4
3.5	-1 – 2	5 – 6
3	3 – 6	7 – 9
2.5	7 – 11	10 – 12
2	12 – 15	13 – 15
1.5	16 – 20	16 – 18
1	21 – 24	18-20
0.5	$\geq 25$	$\geq 20$

## अनुसूची-4

श्रेणी-3 आईएनआर के अंतर्गत एफओपीएनएल से छूट-प्रदत्त ठोस खाद्य पदार्थ/द्रव खाद्य पदार्थ। श्रेणी संख्या से तात्पर्य खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में विहित खाद्य श्रेणी है।

श्रेणी सं.	श्रेणी विवरण
1.1.1	दूध और छाछ (सादा)
1.1.1.1	दूध (सादा)
1.1.1.2	छाछ (सादा)
1.2	किण्वित और रेनेटकृत दूध उत्पाद (सादा), खाद्य श्रेणी को छोड़कर
1.2.1	किण्वित दूध (सादा)

1.2.1.1	किण्वित दूध (सादा), किण्वन के बाद ऊष्मा अनुपचारित
1.2.1.2	किण्वित दूध (सादा), किण्वन के बाद ऊष्मा-उपचारित
1.2.2	रेनेटकृत दूध (सादा)
1.3	संघनित दूध और एनालॉग (सादा)
1.3.1	संघनित दूध (सादा), वाष्पित दूध, मीठा संघनित
1.3.2	पेय श्वेतक
1.4	क्रीम (सादा) और इसी प्रकार की क्रीम तथा मलाई
1.4.1	पास्चरीकृत क्रीम (सादा), क्रीम और मलाई
1.4.2	विसंक्रमित और यूएचटी क्रीम, व्हिपिंग या व्हिड क्रीम, तथा न्यूनीकृत वसा क्रीम (सादा)
1.4.3	थक्केदार क्रीम (सादा)
1.4.4	क्रीम एनालॉग
1.5	दूध पाउडर और क्रीम पाउडर और पाउडर एनालॉग (सादा)
1.5.1	दूध पाउडर और क्रीम पाउडर (सादा)
1.5.2	दूध और क्रीम पाउडर एनालॉग
1.8	व्हे और व्हे उत्पाद, व्हे चीज़ को छोड़कर
1.8.1	द्रव व्हे और व्हे उत्पाद, व्हे चीज़ को छोड़कर
1.8.2	शुष्कित व्हे और व्हे उत्पाद, व्हे चीज़ व्हे पाउडर को छोड़कर
2.1	वसा और तेल जो मौलिक रूप से पानी से मुक्त होते हैं
2.1.1	बटर ऑइल, एनहाइड्रस मिल्कफैट, घी
2.1.2	वनस्पति तेल और वसाएँ
2.1.3	सुअर की चर्बी, मछली के तेल, तथा अन्य पशु वसा
2.3	वसा इमल्शन मुख्यतः पानी में तेल वाले प्रकार के वसा इमल्शन पर आधारित मिश्रण तथा/ अथवा सुरुचित पदार्थ
4.1.1	ताजे फल
4.1.1.1	अनुपचारित ताजे फल
4.1.1.2	सतह उपचारित ताजे फल
4.1.1.3	छीले हुए या कटे हुए ताजे फल
4.1.2.1	जमे हुए फल
4.2.1	ताजी सब्जियाँ (मशरूम और कवकों, जड़ों और कंदों, दालों और फलियों, और धृतकुमारी सहित), समुद्री शैवाल और नट्स तथा बीज
4.2.1.1	अनुपचारित ताजी सब्जियाँ (मशरूम और कवकों, जड़ों और कंदों, दालों तथा सोयाबीन सहित फलियों, और धृतकुमारी सहित), समुद्री शैवाल और नट्स तथा बीज
4.2.1.2	सतह-उपचारित ताजी सब्जियाँ (मशरूम और कवकों, जड़ों और कंदों, दालों तथा फलियों, और धृतकुमारी सहित), समुद्री शैवाल और नट्स तथा बीज
4.2.1.3	छीली, कटी अथवा कसी हुई ताजी सब्जियाँ (मशरूम और कवकों, जड़ों और कंदों, दालों तथा फलियों, और धृतकुमारी सहित), समुद्री शैवाल और नट्स तथा बीज



4.2.2.1	जमी हुई सब्जियाँ (मशरूम और कवकों, जड़ों और कंदों, दालों तथा फलियों, और धृतकुमारी सहित), समुद्री शैवाल और नट्स तथा बीज
5.1.1	कोको मिश्रण (पाउडर) और काको पिण्ड/केक
5.1.2	कोको मिश्रण (चाशनी)
6.1	चावल सहित साबुत, टूटे अथवा फ्लेकड अनाज,
6.2	आटा और मांडी (सोयाबीन पाउडर सहित)
6.2.1	आटा
6.2.2	मांडी (स्टार्च)
6.6	लापसी
8.1	ताजा मांस एवं पोल्ट्री
8.1.1	ताजा मांस एवं पोल्ट्री, साबुत अथवा कटे हुए
8.1.2	विखंडित ताजा मांस एवं पोल्ट्री
8.3.3	जमाये हुए संसाधित मांस एवं पोल्ट्री उत्पाद
8.4	खाद्य खोल (उदाहरण के लिए सॉसेज खोल)
9.1	मोलस्क, क्रस्टेशन और एकीनोडर्म्स सहित ताजा मछली और मछली उत्पाद
9.1.1	ताजा मछली
9.1.2	ताजा मोलस्क, क्रस्टेशन और एकीनोडर्म्स
10.0	अंडे और अंडे उत्पाद
10.1	ताजा अंडे
10.2	अंडा उत्पाद
10.2.1	तरल अंडे उत्पाद
10.2.2	जमे हुए अंडे उत्पाद
10.2.3	शुष्कित और/अथवा ताप-स्कंदित अंडा उत्पाद
10.3	क्षारीय, साल्टेड और डिब्बाबंद अंडे सहित संरक्षित अंडे
10.4	अंडा-आधारित डेसर्ट
11	मिठास कारक शहद सहित
11.1	परिष्कृत और कच्ची शर्करा
11.1.1	सफेद शर्करा, अन्हाईड्रेड डेक्स्ट्रोस, डेक्स्ट्रोस मोनोहाड्रेट, फ्रुक्टोस
11.1.2	पिसी हुई शर्करा, पाउडर डेक्स्ट्रोस
11.1.3	नरम सफेद शर्करा, नरम ब्राउन शर्करा, ग्लूकोज सिरप, शुष्कित ग्लूकोज सिरप, गन्ने की कच्ची शर्करा, खंडसारी शर्करा (सल्फर शूगर), बूरा
11.1.3.1	शूगर कन्फेक्शनरी के निर्माण के लिए प्रयुक्त शुष्कित ग्लूकोज सिरप
11.1.3.2	शूगर कन्फेक्शनरी के निर्माण के लिए प्रयुक्त ग्लूकोज सिरप (गोल्डन सिरप)
11.1.4	लैक्टोज
11.1.5	प्लांटेशन अथवा मिल व्हाइट शर्करा (प्लांटेशन व्हाइट शर्करा, क्यूब शर्करा, मिश्री)

11.2	ब्राउन शूगर, खाद्य श्रेणी 11.1.3 के उत्पादों को छोड़कर
11.3	शर्करा घोल और सिरप, इन्वर्टिड (अंशतः) भी, राब और शीरा सहित, खाद्य श्रेणी 11.1.3 के उत्पादों को छोड़कर
11.4	अन्य शर्कराएँ और सिरप
11.5	शहद
11.6	टेबल-टॉप स्वीटनर, जिसमें उच्च गहनता स्वीटनर भी शामिल है (सैक्करीन सोडियम, एस्पार्टेम, एसिसल्फेम पोटेशियम, सूक्रालोज)
12.1	नमक और नमक के विकल्प
12.1.1	नमक (खाद्य आम नमक, लौह पौष्टिकीकृत नमक, आयोडीनयुक्त नमक सहित)
12.1.2	नमक विकल्प
12.2	जड़ी-बूटियाँ, मसाले, सीजनिंग और कंडिमेंट (उदाहरण के लिए इन्सटैंट नूडलस की सीजनिंग)
12.2.1	जड़ी-बूटियाँ और मसाले
12.2.2	सीजनिंग और कंडिमेंट
12.3	सिरके
12.4	सरसों
12.7	सलाद और सैंडविच स्प्रेड्स, खाद्य श्रेणी 4.2.2.5 और 5.1.3 के कोको तथा गिरी-आधारित स्प्रेड्स को छोड़कर
12.8	खमीर और ऐसे उत्पाद
12.10	सोयाबीन के अलावा प्रोटीन के अन्य उत्पाद
13.0	विशेष पोषण उद्देश्य के प्रयोग हेतु खाद्य पदार्थ
13.1	शिशु फॉर्मूला, अनुवर्ती फॉर्मूला, तथा शिशुओं के लिए विशेष चिकित्सा प्रयोजन के लिए फॉर्मूला
13.1.1	शिशु फॉर्मूला
13.1.2	अनुवर्ती फॉर्मूला
13.1.3	शिशुओं के लिए विशेष चिकित्सा प्रयोजनों के लिए फॉर्मूला
13.2	शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए पूरक आहार
13.3	विशेष चिकित्सा को लक्षित करने के उद्देश्य से खाद्य पदार्थ (खाद्य श्रेणी 13.1 के उत्पादों को छोड़कर)
13.4	स्लिमिंग प्रयोजनों और वजन कम करने के लिए आहार जनित फॉर्मूला
13.5	आहार जनित खाद्य पदार्थ (खाद्य श्रेणी 13.1 के उत्पादों को छोड़कर) (उदाहरण के लिए आहारिय उपयोग के लिए पूरक खाद्य), खाद्य श्रेणी 13.1-13.4 और 13.6 के उत्पादों को छोड़कर
13.6	खाद्य संपूरक
14.1.1	जल
14.1.1.1	प्राकृतिक खनिज जल और स्रोत जल
14.1.1.2	टेबल वाटर और सोडा वाटर
14.2	अल्कोहल पेय, अल्कोहल से मुक्त और अल्प अल्कोहलिक समकक्षो सहित
14.2.1	बीयर और माल्ट से बने पेय
14.2.2	साइडर और पेरी

14.2.3	अंगूर वाइन
14.2.3.1	स्टिल अंगूर वाइन
14.2.3.2	स्पाक्रलिंग और सेमी-स्पाकलिंग अंगूरी शराब
14.2.3.3	फोर्टीफाइड अंगूर की वाइन , अंगूर लिकर वाइन, और स्वीट अंगूर वाइन
14.2.4	वाइन (अंगूर के अलावा)
14.2.5	मीड
14.2.6	15% से अधिक एल्कोहल वाले डिस्टिल्ड स्पिरिट युक्त पेय पदार्थ
14.2.7	सुगन्धित अल्कोहल पेय ”;

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
[विज्ञापन-III/4/असा./268/2022-23]

**टिप्पण:** मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या फा. सं. 1-94/एफ.एस. एस.ए.आई /एसपी (लेबलिंग)/2014(भाग 2), दिनांक 17 नवंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनमें निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया था:

- 1). फा. सं. स्टैंडर्ड/एसपी-08/ए-1.2019/एन-02, दिनांक 10 सितंबर, 2021

**FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th September, 2022

**F. No. Std./SP-08/T(FoPNL-N-01).**—The following draft of certain regulations to further amend the Food Safety and Standards (Labelling & Display) Regulations, 2020, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (2) of section 92 read with clause (h) of sub-section (2) of section 16 and section 23 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by sub-section (1) of section 92 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or may be sent by e-mail at [regulation@fssai.gov.in](mailto:regulation@fssai.gov.in);

Objections or suggestions which may be received with respect to the said draft regulations within the period specified above shall be considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

**Draft Regulations**

1. **Short title and commencement**-(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Labelling & Display) Amendment Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette. Compliance shall be voluntary until a period of 48 months from the date of final notification of these regulations and mandatory thereafter.

2. In the Food Safety and Standards (Labelling & Display) Regulations, 2020 (herein after referred as said regulations), -
- (1) in Chapter-1, in regulation 2 relating to “Definitions”, after clause (i), the following shall be inserted, namely, -
- “(ia) **Front-of-pack nutrition labelling (FOPNL)** is a form of supplementary nutrition information that presents simplified nutrition information on the front-of-pack of pre-packaged foods. It can include symbols/graphics, text or a combination thereof that provide information on the overall nutritional value of the food and/or on nutrients included in the FOPNL”.
- “(ib) **High fat, sugar, salt (HFSS) food** means a processed food product which has high levels of saturated fat or total sugar or sodium. The declared values of these ingredients are such that the product; does not satisfy the value of energy (kcal) from total sugar less than 10 percent of total energy, or from saturated fat 10 percent of total energy, and sodium less than 1 mg/1 kcal.”
- (2) in regulation 5 relating to “Labelling Requirements”, -
- (a) in sub-regulation (2), after clause (b), the following proviso shall be inserted, namely, -
- “provided that the percentage of Fruits, Vegetable, Nuts, Legumes & Millets, if present in the food product, shall be declared”.
- (b) in sub-regulation (3), in sub-clause (ii) of clause (b), after item (D) relating to “Sodium (mg)”, the following shall be inserted, namely, -
- “(E) Dietary Fibre (g);”
- (3) after CHAPTER 5 relating to “Labelling of food additives when sold as such” following shall be inserted, namely, -

## “CHAPTER 6

### 14. Indian Nutrition Rating (INR)

#### (1) Baseline Reference values and Categories

For the purpose of Front of Pack Nutritional Labelling (FOPNL), the baseline reference values for four health risk increasing factors *i.e.*, energy, total sugars, saturated fat and sodium per 100 g or 100 ml of the product; and, the minimum percentage of positive nutrients *viz.*, fruit & vegetable (FV); nuts, legumes & millets (NLM); fibre and protein for consideration in the calculation for rating of a specific solid foods or liquid foods, is provided in Table-1 of Schedule –III.

Further, all processed and packaged food products covered under the extant FSS Regulations are classified into three categories *viz.*, CATEGORY-I (Solid foods), CATEGORY-II (Liquid foods) and CATEGORY-III (Exempted from FOPNL).The system of pictorial display format shall be referred to as Indian Nutrition Rating (INR).The baseline reference values for food risk factors and minimum percentage of positive factors; INR baseline points for Category-I; INR baseline points for Category –II; capping of positive points; formula to calculate star rating and associated interpretation are provided in Table 1, 2, 3, 4, 5 & 6 of Schedule- III, respectively. The list of solid foods/liquid foods under Category-III (exempted from FOPNL) are provided in Schedule-IV.

Provided that any beverage/carbonated beverage without energy and/or sugar shall not be eligible for declaring Star Rating (INR).

#### (2) Pictorial Display Format


- (a) Every packaged food except those exempted from nutritional information under these regulations, shall display the prescribed format (INR) on front of pack calculated on the basis of contribution of energy (in kilo calories; kcal), saturated fat (g), total sugar (g) and sodium (mg) and the positive nutrients per 100 g of solid food or 100 ml of liquid food on a ‘as sold’ basis, using the formula mentioned in Table-5 of Schedule –III.

- (b) The INR system rates the overall nutritional profile for packaged food by assigning it a rating from ½ star (least healthy) to 5 stars (healthiest). More stars indicate that the food product is better positioned to provide for daily human need of nutrients. The format of logo for INR is as indicated below:



The logo shall be displayed close in proximity to the name or brand name of the product on front of pack.

Provided that food business operators may give optionally additional interpretive information as per serve percentage contribution to RDA of energy, total sugars, saturated fats and sodium expressed as salt equivalent, along with the INR logo as illustrated below:




*\*The display size of additional interpretive information may be specified as 25% of main INR logo. A- same as the height of main INR logo. B-1/4<sup>th</sup> of the height of the main INR logo.*


(c) Size of the INR logo

Sl.No.	Area of principal display panel in cm. square	Minimum Height (mm)	Minimum Width (mm)
1.	Above 100 to 500	15	15
2.	Above 500 to 2500	20	20
3.	Above 2500	25	25


(d) Colour codes:



Position	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Inch W	1.783 "	1.68 "	1.783 "	0.331 "	0.513 "	1.347 "	1.106 "	0.825 "	0.318 "	0.532 "	0.043 "	0.04 "
Inch H	1.811 "	0.64 "	0.633 "	0.183 "	1.146 "	0.093 "	0.093 "	0.667 "	0.323 "	0.896 "	1.358 "	1.074 "



Position	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Inch W	3.696 "	0.336 "	0.447 "	0.751 "	0.603 "	0.239 "	2.02 "	0.88 "	0.88 "
Inch H	1.011 "	0.126 "	0.135 "	0.156 "	0.077 "	0.115 "	0.156 "	0.411 "	0.598 "



**(3) Generation of INR logo**

The FBO shall submit their product's relevant nutrient profile in the FoSCoS system for generating the respective INR score and the logo with or without the optional interpretive information.

15. Food products with milk logo as specified under Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulation, 2011 shall be exempted from the purview of HFSS definition.”

**(4) after Schedule-II, following shall be inserted, namely, -****“Schedule-III**

**Table 1. Baseline reference values for Food risk factors and minimum percentage of positive factor per 100 gm or 100 ml on ‘as sold’ basis.**

Food Risk Factors	Solid Foods	Liquid Foods (non-dairy)	Positive Factors	Minimum, %
Energy, kcal	400	30	Fruits & vegetables	10 (solid foods) & 5 (liquid foods)
Total Sugars, g	21	6	Nuts, legumes & millets	10
Saturated fat, g	5	3	Dietary Fibre	3
Sodium, mg	450	100	Protein	1.5

**Table 2. INR Baseline points for Category-I: Solid Foods (Incl. Dairy products and beverages) per 100 g**

Category-I includes all food categories except category no. 6.8.1 & 14.0 mentioned under Appendix A of FSS (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011

Baseline points	Energy, kcal	Sat. fat (g)	Total sugars (g)	Sodium (mg)	Positive Point			
					FV	NLM	Dietary Fibre	Protein
0	≤80	≤1.0	≤4.2	≤90	≤10	≤10	≤3	≤1.5
1	>80	>1.0	>4.2	>90	>10	>10	>3	>1.5
2	>160	>2.0	>8.4	>180	>15	>15	>6	>2.0
3	>240	>3.0	>12.6	>270	>20	>20	>9	>2.5
4	>320	>4.0	>16.8	>360	>25	>25	>12	>3.0
5	>400	>5.0	>21	>450	>30	>30	>15	>5
6	>480	>6.0	>25.2	>540	>35	>35	>18	>7
7	>560	>7	>29.4	>630	>40	>40	>21	>10
8	>640	>8	>33.6	>720	>45	>45	>24	>15
9	>720	>9	>37.8	>810	>50	>50	>27	>20
10	>800	>10	>42	>900	>55	>55	>30	>25
11		>12	>46.2	>990				>30
12		>14	>50.4	>1080				>35
13		>16	>54.6	>1170				>40
14		>18	>58.8	>1260				>45
15		>20	>63	>1350				>50
16		>22	>67.2	>1440				
17		>24	>71.4	>1530				
18		>26	>75.6	>1620				
19		>28	>79.8	>1710				
20		>30	>84	>1800				
21		>32		>1890				
22		>34		>1980				
23		>36		>2070				
24		>38		>2160				
25		>40		>2250				

**Table 3. INR Baseline points for Category-II: Liquid Foods (excluding Dairy Products), per 100 ml**

Category-II includes food category no. 6.8.1 and 14.0 mentioned under Appendix A of FSS (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011

Baseline points	Energy (kcal)	Total sugars (g)	Positive Points	
			FV	Protein
0	≤6	≤0.1	≤5	≤1.5
1	>6	>0.1	>5	>1.5
2	>12	>1.6	>10	>2.0
3	>18	>3.1	>15	>2.5
4	>24	>4.6	>20	>3.0
5	>30	>6.1	>25	>5
6	>36	>7.6	>30	>7
7	>42	>9.1	>35	>10
8	>48	>10.6	>40	>15
9	>54	>12.1	>45	>20
10	>60	>13.6	>55	>25
11				>30
12				>35
13				>40
14				>45
15				>50

Table 4. Capping of positive points

Category	Capping criteria
Solid Foods	if INR baseline points are ≤ 20, can score up to 15 points for protein and 10 points each for FV, NLM & Dietary Fibre
	if INR baseline points are > 20, can score upto 7 points for protein and 5 points each for FV, NLM & Dietary Fibre
Liquid Foods	if INR baseline points are ≤ 10, can score upto 10 points for FV and upto 15 points for protein
	if INR baseline points are > 10, can score up to 5 points for FV and up to 7 points for protein

Table 5: Formula to Calculate Star Rating

<i>Final INR score</i>
= (INR baseline points) – [(INR FV* points) + (INR NLM* points) + (INR P* points) + (INR F* points)]

Table 6: Indian Nutrition Rating

Indian Nutrition Rating		
INR scores for Solid Foods category, with final Indian Nutrition Rating		INR scores for Liquid Foods category, with final Indian Nutrition Rating
Stars	Points	Points
5	≤ -11	≤0
4.5	-10 – -7	1 – 2
4	-6 – -2	3 – 4
3.5	-1 – 2	5 – 6
3	3 – 6	7 – 9
2.5	7 – 11	10 – 12
2	12 – 15	13 – 15
1.5	16 – 20	16 – 18
1	21 – 24	18-20
0.5	≥25	≥20



**Schedule-IV**

**Category-III Solid Foods/Liquid Foods exempted from FOPNL under INR.** The category numbers refer to food categories as provided under FSS (FPS & FA) Regulations, 2011.

<b>Cat. No.</b>	<b>Category description</b>
1.1.1	Milk and buttermilk (plain)
1.1.1.1	Milk (plain)
1.1.1.2	Buttermilk (plain)
1.2	Fermented and renneted milk products (plain), excluding food category
1.2.1	Fermented milks (plain)
1.2.1.1	Fermented milks (plain), not heat-treated after fermentation
1.2.1.2	Fermented milks (plain), heat-treated after fermentation
1.2.2	Renneted milk (plain)
1.3	Condensed milk and analogues (plain)
1.3.1	Condensed milk (plain), evaporated milk(s), sweetened condensed
1.3.2	Beverage whiteners
1.4	Cream (plain) and the like cream and malai
1.4.1	Pasteurized cream (plain), cream and malai
1.4.2	Sterilized and UHT creams, whipping and whipped creams, and reduced fat creams (plain)
1.4.3	Clotted cream (plain)
1.4.4	Cream analogues
1.5	Milk powder and cream powder and powder analogues (plain)
1.5.1	Milk powder and cream powder (plain)
1.5.2	Milk and cream powder analogues
1.8	Whey and whey products, excluding whey cheeses
1.8.1	Liquid whey and whey products, excluding whey cheeses
1.8.2	Dried whey and whey products, excluding whey cheeses whey powder
2.1	Fats and oils essentially free from water
2.1.1	Butter oil, anhydrous milk fat, ghee
2.1.2	Vegetable oils and fats
2.1.3	Lard, tallow, fish oil, and other animal fats
2.3	Fat emulsions mainly of type oil-in-water, including mixed and/or flavoured products based on fat emulsions
4.1.1	Fresh fruit
4.1.1.1	Untreated fresh fruit
4.1.1.2	Surface treated fresh fruit
4.1.1.3	Peeled or cut fresh fruit
4.1.2.1	Frozen fruit
4.2.1	Fresh vegetables, (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), seaweeds and nuts and seeds
4.2.1.1	Untreated fresh vegetables, (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes including soybeans, and aloe vera), seaweeds and nuts and seeds;
4.2.1.2	Surface-treated fresh vegetables, (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), seaweeds and nuts and seeds;
4.2.1.3	Peeled, cut or shredded fresh vegetables, (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), seaweeds and nuts and seeds
4.2.2.1	Frozen vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), seaweeds and nuts and seeds
5.1.1	Cocoa mixes (powders) and cocoa mass/cake

5.1.2	Cocoa mixes (syrops)
6.1	Whole, broken, or flaked grain, including rice
6.2	Flours and starches (including soybean powder)
6.2.1	Flours
6.2.2	Starches
6.6	Batters
8.1	Fresh meat and poultry
8.1.1	Fresh meat and poultry whole pieces or cuts
8.1.2	Fresh meat and poultry comminuted.
8.3.3	Frozen processed comminuted meat and poultry products
8.4	Edible casings (e.g. Sausage casings)
9.1	Fresh fish and fish products, including molluscs, crustaceans, and echinoderms
9.1.1	Fresh fish
9.1.2	Fresh molluscs, crustaceans, and echinoderms
10.0	Eggs and egg products
10.1	Fresh eggs
10.2	Egg products
10.2.1	Liquid egg products
10.2.2	Frozen egg products
10.2.3	Dried and/or heat coagulated egg products
10.3	Preserved eggs, including alkaline, salted, and canned eggs
10.4	Egg-based desserts
11	Sweeteners, including honey
11.1	Refined and raw sugars
11.1.1	White sugar, dextrose anhydrous, dextrose monohydrate, fructose
11.1.2	Powdered sugar, powdered dextrose
11.1.3	Soft white sugar, soft brown sugar, glucose syrup, dried glucose syrup, raw cane sugar, khandsari sugar (sulphur sugar), bura sugar
11.1.3.1	Dried glucose syrup used to manufacture sugar confectionery
11.1.3.2	Glucose syrup for manufacture of sugar confectionery (golden syrup)
11.1.4	Lactose
11.1.5	Plantation or mill white sugar (plantation white sugar, cube sugar, misri)
11.2	Brown sugar excluding products of food category 11.1.3
11.3	Sugar solutions and syrups, also (partially) inverted, including treacle and molasses, excluding products of food category 11.1.3
11.4	Other sugars and syrups
11.5	Honey
11.6	Table-top sweeteners including those containing high intensity sweeteners (saccharin sodium, aspartame, acesulfame potassium, sucralose)
12.1	Salt and salt substitutes
12.1.1	Salt (including edible common salt, iron fortified salt, iodized salt)
12.1.2	Salt substitutes
12.2	Herbs, spices, seasonings and condiments (e.g. seasoning for instant noodles)
12.2.1	Herbs, spices including masalas
12.2.2	Seasonings and condiments
12.3	Vinegars
12.4	Mustards
12.7	Salads and sandwich spreads excluding cocoa-and nut based spreads of food categories 4.2.2.5 and 5.1.3
12.8	Yeast and like products

12.10	Protein products other than from soybeans
13	Foodstuffs intended for particular nutritional uses
13.1	Infant formulae, follow-on formulae, and formulae for special medical purposes for infants
13.1.1	Infant formulae
13.1.2	Follow-up formulae
13.1.3	Formulae for special medical purposes for infants
13.2	Complementary foods for infants and young children
13.3	Dietetic foods intended for special medical purposes (excluding products of food category 13.1
13.4	Dietetic formulae for slimming purposes and weight reduction
13.5	Dietetic foods (e.g. supplementary foods for dietary use) excluding products of food categories 13.1-13.4 and 13.6
13.6	Food supplements
14.1.1	Waters
14.1.1.1	Natural mineral waters and source waters
14.1.1.2	Table waters and soda waters
14.2	Alcoholic beverages, including alcohol-free and low-alcoholic counterparts
14.2.1	Beer and malt beverages
14.2.2	Cider and Perry
14.2.3	Grape wines
14.2.3.1	Still grape wine
14.2.3.2	Sparkling and semi-sparkling grape wines
14.2.3.3	Fortified grape wine, grape liquor wine, and sweet grape wine
14.2.4	Wines (other than grape)
14.2.5	Mead
14.2.6	Distilled spirituous beverages containing more than 15% alcohol
14.2.7	Aromatized alcoholic beverages”;

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./268/2022-23]

**Note :** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number F. No. 1-94/FSSAI/SP(Labelling)/2014(Pt-2), dated the 17<sup>th</sup> November, 2020 and subsequently amended *vide* notification number:

1. F. No. Std/SP-08/A-1.2019/N-02, dated 10<sup>th</sup> September, 2021.